कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0,

लखनऊ

पत्रांकः 02/PM-16/2020 दिनांकः 09/10/2020

सेवा में,

प्रबंधक,
सिद्धार्थ ग्लोबल स्कूल,
सैय्यद बाड़ा, मोहान रोड, मलिहाबाद,
लखनऊ।

विषयः नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के अनुसार विद्यालय भवन के सत्यापन के सम्बन्ध में।

संदर्भः आपका पत्र संख्या 146/2020 दिनांक 28.09.2020

महोदय,

कृपया अपने संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके क्रम अवगत कराना है कि **सिद्धार्थ ग्लोबल स्कूल, सैय्यद बाड़ा, मोहान रोड, मलिहाबाद, लखनऊ** के शिक्षण संस्थान का निरीक्षण दिनांक 07.10.2020 को किया गया एवं निरीक्षणोपरान्त पाया गया कि भवन भू-तल, प्रथम तल, द्वितीय एव तृतीय तल तक निर्मित है, जो मानक के अनुरूप प्रतीत होता है।

भविष्य में विद्यालय भवन/परिसर में अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने पर पुनः विभाग द्वारा एन0ओ0सी0 प्राप्त करें एवं एन0बी0सी0 कोड 2016 मानको के अनुसार ही निर्माण करायें।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0,लखनऊ

दिनांकः

पत्रांकः

प्रतिलिपि :-

1. सहायक अभियन्ता (तृतीय) निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, लखनऊ।
2. जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0,लखनऊ

कार्यालय नगर पंचायत मलिहाबाद, लखनऊ

पत्रांक 3.61../न०पं०म०/2020-21 दिनांक 28.11.2020

प्रबन्धक
श्री प्रमोद कुमार सिंह
रिद्विमा शिक्षा समिति
निवासी मो0 448/250क
नगरिया-2 आंशिक लखनऊ

आप द्वारा यू०पी०म्यू० एक्ट 1916 की धारा 178, 179 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये भवन मानचित्र की स्वीकृति सार्वजनिक सफाई के दृष्टिगत रखते हुए उक्त एक्ट की धारा 180(1) के अन्तर्गत निम्न उपबन्धों के अधीन की जाती है।

1- प्रस्तावित भवन निर्माण मानचित्र में दर्शायी गयी भूमि पर किया जायेगा।
2- भवन का बाहरी भाग सार्वजनिक भूमि की ओर कोई भी परनाल, शौचालनय, सन्डास नहीं बनाया जायेगा।
3- निर्माण कार्य के समय कोई भी सामग्री आदि सार्वजनिक मार्ग पर एकत्रित नहीं की जायेगी।
4- यदि निर्माण की स्वीकृति दिये जाने के पश्चात यह संतुष्टि की जायेगी कि नोटिस अथवा सूचना में दिये गये गलत विवरण या नक्शे के आधार पर अनुमति प्राप्त हुई है तो अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी द्वारा अनुमति रदद की जा सकती है तथा अनुमति के अन्तर्गत किया गया कार्य बिना अनुमति के माना जाएगा, गिरवाया जा सकता है।
5- भवन मानचित्र की स्वीकृति उक्त एक्ट की धारा 181 के अधीन एक वर्ष के लिए मान्य होगी। प्रार्थी यदि समिति की भूमि पर अतिक्रमण का कार्य करता है तो स्वीकृति प्रभावित भवन मानचित्र निरस्त समझा जाएगा।
6- धारा 180(1) के अधीन दी गयी स्वीकृति किसी भी अधिकार आपत्ति अयोग्यता की प्रदत्त या समाप्त नहीं करती।

भवदीय
(हस्ताक्षर)
अध्यक्ष
नगर पंचायत मलिहाबाद
मलिहाबाद लखनऊ